



दिल्ली विधान सभा

कार्य संत्रणा समिति

नौवा प्रतिवेदन

॥ 18.12.1995 को प्रस्तुत ॥

DELHI VIDHAN SABHA

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

NINTH REPORT

( Presented on 18.12.1995 )

दिल्ली विधान सभा सचिवालय, दिल्ली ।  
DELHI VIDHAN SABHA SACHIVALAYA, DELHI

दिल्ली विधान सभा

कार्य मंत्रणा समिति

का नौवा 191 प्रतिवेदन

१ 18.12.1995 को प्रस्तुत १

समिति का गठन

1.	श्री चरती लाल गोयल	सभापति
2.	श्री आलोक कुमार	सदस्य
3.	श्री राम भज	सदस्य
4.	डा. हर्षवर्धन	सदस्य
5.	कु. पूर्णिमा सेठी	सदस्य
6.	श्री परबेज हाशमी	सदस्य
7.	श्री महेन्द्र सिंह साथी	सदस्य

सचिवालय

1.	श्री पी. एन. गुप्ता	सचिव
2.	श्री एस. के. शर्मा	संयुक्त सचिव
3.	श्री एस. के. श्रीवास्तव	समिति अधिकारी

कार्य मंत्रणा समिति की बैठक समिति के सभी सातों सदस्यों को पुरो गणपूर्ति के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय के कक्ष में सम्पन्न हुई ।

स्वास्थ्य तथा विधाबो कार्य मंत्री ने समिति को सूचित किया कि निम्नलिखित दो विधेयक विधान सभा में पुरःस्थापित किये जाने के लिये तैयार हैं :-

1. स्माल काजिज कोर्ट विधेयक, 1995 : इस विधेयक का उद्देश्य दीबानी अदालतों के अधिकार क्षेत्र की सीमा को 500/- रुपये से बढ़ाकर 10,000/- रु. करना है ।
2. दिल्ली राजभाषा विधेयक - हिन्दी को प्रथम राजभाषा तथा पंजाबी को द्वितीय राजभाषा के रूप में स्वीकार करने के प्रावधान हेतु ।

#### समय का आबंटन

समिति ने इन विधेयकों पर चर्चा के लिये निम्नलिखित समय के अनुसार समय का आबंटन किया है :-

- |                          |         |
|--------------------------|---------|
| 1. स्माल काजिज कोर्ट बिल | 15 मिनट |
| 2. दिल्ली राजभाषा विधेयक | 2 घंटे  |

#### अल्पकालिक चर्चा

1. समिति ने निर्णय लिया कि निम्नलिखित चार विषयों पर अल्पकालिक चर्चा होगी :-

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. ग्रुप हाउसिंग समितियों एवं बहुमंजिले फ्लैटों से बढ़ी हुई दरों से सम्पत्ति कर लेने के बावजूद भी समितियों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध न कराना । | 1 घंटा 30 मिनट |
| 2. दिल्ली में बिगड़ती हुई सार्वजनिक यातायात व्यवस्था, रेडलाइन बसों द्वारा विकट समस्या तथा मोटर वाहनों द्वारा सड़कों पर प्रदूषण फैलाना           | 1 घंटा 30 मिनट |

3. राजधानी में बिगड़ती हुई कानून एवं व्यवस्था की स्थिति 2 घंटे
4. अध्यापकों के वेतनमानों और भत्तों को लागू<sup>न</sup>करने के बारे में चट्टोपाध्याय आयोग की सिफारिशों । 1 घंटे

समिति ने श्री राम भज को और उनकी अनुपस्थिति में डा. हर्षवर्धन को सदन में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किया ।

चरती लाल गोयल  
सभापति  
कार्य मंत्रणा समिति

Report of the Business Advisory Committee (9th Report) presented on 18.12.1995

Constitution of the Committee

1.	Shri Charti Lal Goel	Chairman
2.	Shri Alok Kumar	Member
3.	Shri Ram Bhaj	Member
4.	Dr. Harsh Vardhan	Member
5.	Km. Purnima Sethi	Member
6.	Shri Parvez Hashmi	Member
7.	Shri Mahender Singh Saathi	Member

Secretariat

1.	Shri P.N. Gupta	Secretary
2.	Shri S.K. Sharma	Joint Secretary
3.	Shri S.K. Srivastava	Committee Officer

The Business Advisory Committee met in the Chamber of Hon'ble Speaker with full quorum of all the seven members present.

The Minister of Health and Legislative Affairs informed that the following two bills are ready for being introduced:

1. Small Causes Courts Bill, 1995 - aimed at raising the pecuniary limit of small courts from Rs.500/- to Rs. 10,000/-.
2. Delhi Official Language Bill - providing for adoption of Hindi as the official language and Punjabi as the 2nd official language of Delhi.

Allocation of Time

The Committee decided to allocate time for these Bills as follows:

1.	Small Causes Courts Bill	15 mts.
2.	Official Language Bill	2 hrs.

Short Duration Discussions

The Committee decided that the Short Duration Discussions may be held on the following four subjects:

1. Despite levy of house-tax at enhanced rate, utter neglect of group housing societies and multi-storied flats due to non provision of necessary

civic amenities to them.

2. Deterioration of public transport system in Delhi, menace caused by redline buses and pollution caused by motor vehicles on roads. 1 hr. 30 mts.
3. Deteriorating law and order situation in Delhi. 2 hours.
4. Non-implementation of the recommendations of the Chatopadhaya Commission in Delhi despite repeated assurances. 1 hours

The Committee authorised Shri RamBhaj and in his absence Dr. Harsh Vardhan to present the report in the House.

Dated 13.12.1995  
Delhi

CHARTI LAL GOEL,  
CHAIRMAN,  
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE